



GOVT. OF BIHAR "प्रारूप 26" भारत
 REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
 MUZAFFARPUR, BIHAR (नियम 4क देखिए)
 GOVERNMENT OF BIHAR
 AUTHORIZATION No. 3876

STAMP DUTY
 00000
 375263
 **Zero*Zero*Ze

बिहार
 JUDICIAL

6530 015184



16 वीं चाली

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लौकसना (सदन का नाम) के लिए
 निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं शंकर महतो ~~****~~ पुत्र/पुत्री/पत्नी कीटा महतो
 आयु 42 वर्ष, जो श्रीम. शंकराचरण, पारस-पारस,
धाना-सईया, डि-मुजफ्फरपुर, बिहार

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

(1) मैं काङ्ग्रेस समाज पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/****एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(**जो लागू न हो उसे काट दे)


(2) मेरा नाम 97 पारस शंकर (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 108 के क्रम सं 368 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9199943535 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ... है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रार्थिति :

(Handwritten signature)

21 APR 2014




क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूप में)
1.	स्वयं	CBEPMT-8253J	२००५	२००५
2.	पति या पत्नी	२००५	२००५	२००५
3.	आश्रित-1	२००५	२००५	२००५
4.	आश्रित-2	२००५	२००५	२००५
5.	आश्रित-3	२००५	२००५	२००५

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	(1) 21/2/08 थाना कांस्टेबल-193/08 (11) " " " " 117/10
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	(1) धारा-341, 323/34 21/06/08 (2) " " - 420, 384 21/09/08
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	(1) सत्र न्यायालय - 21/06/08 (युवा न्यायालय) (11) सत्र न्यायालय - 21/06/08 (युवा न्यायालय) 21/06/08 (युवा न्यायालय) 21/06/08
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	(1) सत्र न्यायालय (युवा न्यायालय) प्रयाग (2) सत्र न्यायालय (युवा न्यायालय) प्रयाग
(ड.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	(1) दिनांक 19.8.2010 (11) तारीख - 24.10.2013
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं



21 APR 2014

संलग्न है

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न):-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	पेपर - एनो प्रमाण किया 15/06/2014 मामला संज्ञान की ति 82/14
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	(1) 130/24/03/2010 मारपीट काल 147, 148/49, 323/20 एनो प्रमाण की ति 20/08/14 पेपर 127(A)/133R.P.A मामला संज्ञान की ति 17/11/14
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	नहीं

Signature

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	₹ 50000	₹ 0000	₹ 20000	₹ 0000	₹ 0000
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	PN Bank 1947=10 CU BJB PS 1612	₹ 0000	₹ 0000	₹ 0000	₹ 0000
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम		₹ 0000	₹ 0000	₹ 0000	₹ 0000



21 APR 2014

(Signature)

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	LIC 16758=0 157502	युन	युन	युन
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम		युन	युन	युन
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	D 22 लोमा 2013 Rese No 13206 Rs- 1143 Hi 450000 Reg No 13206/19397 15 33000	युन	युन	युन
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	लोमा 50000 2020 Rs- 150000 मोदी 250000 15 110002	युन	युन	युन
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य		युन	युन	कुल
(ix)	समग्र कुल मूल्य	864067 + 166000 = 2000			

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी दिवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	2 1/2 एकर Khatk-42				
	सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	Khesha 1204 233-ETC	युन	युन	युन	
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	2525/0	युन	युन	युन	
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	है	युन	युन	युन	
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख		युन	युन	युन	
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)		युन	युन	युन	
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई		युन	युन	युन	

(Signature)



21 APR 2014

	क्रय की तारीख	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य
	विकास, संनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	800000000	अन्य	अन्य	अन्य
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	2650000000	अन्य	अन्य	अन्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	
	कोई अन्य दायित्व	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	
	दायित्वों का कुल योग	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	1357 L 147662	अन्य	अन्य	अन्य	
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	
	आय-कर शोध्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	



21 APR 2014

(Signature)

	धनकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	14766=0	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं..... 29/07

(ख) पति या पत्नी..... 29/07

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-



इंटरमीडिएट (कला) इंटरमीडिएट कॉलेज काई 1990
 भारत 10/04/90 को इंटरमीडिएट कोलेज में जोड़ने का प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

121 APR 2014

(Signature)

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से मिन को कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 21.04.2014 को सत्यापित किया गया।

I. Pradeep Reddy
The Depositor

Pradeep Reddy
अभिसाक्षी

टिप्पण
चाहिए।

टिप्पण

1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह तक फाइल किया जाना

2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी स्तंभ के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हों, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या / संख्यायें है / हैं 9199943535

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है

एव मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है

Pradeep Reddy

